



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 13, 2021 (SRAVANA 22, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th August, 2021

No. 20-HLA of 2021/ 64 /20593.— The Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 20-HLA of 2021

THE HARYANA ENTERPRISES PROMOTION (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Act, 2021. Short title.
2. In section 2 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016,- Amendment of section 2 of Haryana Act 6 of 2016.
 - (i) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - ‘(ka) “medium enterprise” means the enterprise as defined under clause (g) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);
 - (kb) “micro enterprise” means the enterprise as defined under clause (h) of section 2 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);’;
 - (ii) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:-
 - ‘(ll) “small enterprise” means the enterprise as defined under clause (m) of section 2 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);’.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State Government enacted Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 to provide for simplification of regulatory framework and to assist investor in speedy implementation of projects in the State by way of granting state specific regulatory clearances/services/ permission/approval/registration/license in a time bound manner through a Single Roof Mechanism.

The State Government has notified new Industrial policy namely 'Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020' on 29.12.2020, which is effective from 01.01.2021 to 31.12.2025. In order to ease regulatory burden on the investor and to strengthen Haryana in Ease of Doing Business, certain regulatory reforms have been proposed under chapter 5 of the Policy which are as under:

Clause No.	Reform
5.5.1	Clearances: MSMEs shall be given all requisite business clearances within 15 days, beyond which there will be a provision for automated deemed clearance on HEPC portal.
5.5.2	Inspections: No inspection shall be carried out for a period of 3 years from the date of starting a business.
5.11.8	Recovery of MSEs dues: The provision shall be made in Haryana Micro, Small Enterprises Facilitation Council (HMSEFC) rules to recover the outstanding payments of MSEs as arrear of land revenue.

For implementing the above reforms, the Haryana Enterprises Promotion Rules, 2016 need to be amended. However, before moving ahead with the required amendments in Rules, definition of Micro, Small and Medium Enterprises in definition clause of Haryana Enterprises Promotion Act, 2016, is needed to be added which requires amendment in the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016. Sections 2, of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 are proposed to be amended.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 13th August, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 20 एच.एल.ए.

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 की धारा 2 में,—
 - (i) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
'(टक) "मध्यम उद्यम" से अभिप्राय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन यथा परिभाषित उद्यम ;
 - (ii) '(टख) "सूक्ष्म उद्यम" से अभिप्राय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन यथा परिभाषित उद्यम ;
 - (iii) खण्ड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
'(ठठ) "लघु उद्यम" से अभिप्राय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 2 के खण्ड (ड) के अधीन यथा परिभाषित उद्यम ;'।

2016 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया जिससे राज्य में सेवाएं/अनुमति/अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस समय-सीमा के तहत सिंगल रूफ मैकेनिज्म के माध्यम से प्रदान करके राज्य में परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में निवेशकों की सहायता के लिए नियामक ढांचे का सरलीकरण प्रदान किया जा सके।

राज्य सरकार ने 29.12.2020 को 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020' नामक नई औद्योगिक नीति अधिसूचित की है, जो 01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी है। निवेशक पर नियामक बोझ को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी में हरियाणा को मजबूत करने के लिए, नीति के अध्याय 5 के तहत कुछ नियामक सुधारों का प्रस्ताव किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

खंड संख्या	सुधार
5.5.1	मंजूरी: एमएसएमई को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद एचईपीसी पोर्टल पर स्वचालित डीमंड क्लियरेंस का प्रावधान होगा।
5.5.2	निरीक्षण: व्यवसाय शुरू करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
5.11.8	एमएसई बकाया की वसूली: हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद (एचएमएसईएफसी) के नियमों में प्रावधान किया जाएगा ताकि एमएसई के बकाया भुगतान को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सके।

उपरोक्त सुधारों को लागू करने के लिए, हरियाणा उद्यम संवर्धन नियम, 2016 में संशोधन करने की आवश्यकता है। नियमों में आवश्यक संशोधन के साथ आगे बढ़ने से पहले, हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की परिभाषा खंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 में संशोधन की आवश्यकता है। अतः हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव है।

दुष्यंत चौटाला,
उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।